# पाँचवा-स्तम्भ

CUTS International

हमारा मुख-पत्र

वर्ष 16, अंक 1/2015


## सभी स्तम्भ मोटर वाहन अधिनियम की धारा 134 को कारगर बनाने में सहयोग करें!

''मोटर वाहन अधिनियम की धारा 134 काफी समय से अस्तित्व में है, मगर लोगों में जागरूकता की कमी और कर्तव्यों की अनदेखी के कारण सड़क दुर्घटनाओं में आज भी काफी लोग समय पर उपचार के अभाव में मौत के मुंह में चले जाते हैं।''

उक्त विचार जस्टिस एन.के. जैन, पूर्व अध्यक्ष, राजस्थान मानवाधिकार आयोग ने 'कट्स' द्वारा परिवहन विभाग, राजस्थान सरकार के सहयोग से मोटर वाहन अधिनियम की धारा 134 पर 27 फरवरी को जयपुर में आयोजित कार्यशाला में व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं से पीड़ित व्यक्तियों की देखरेख के अभाव के कारण मरने वालों की संख्या पर लगाम नहीं लग पा रही है।

जैन ने प्रजातंत्र के पांचों स्तम्भों को मिलकर धारा 134 मोटर वाहन अधिनियम को कारगर बनाने के लिए कार्य करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि अगर धारा 134 का कारगर इस्तेमाल नहीं हुआ तो यह भी हमारे देश के अनेकों अप्रचलित कानूनों की सूची में दर्ज हो जाएगा।

डॉ. आर.एन. मीणा, संयुक्त निदेशक, अस्पताल प्रशासन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने कार्यशाला में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि वर्ष 2011 में विभाग के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है कि कोई भी चिकित्सक, जिसने किसी भी पेथी से डॉक्टरी की है, वो सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति का इलाज करने के लिए अधिकृत है।

वैसे वर्तमान में विभाग द्वारा पीड़ित को तुरंत चिकित्सा दिलाने के मकसद से 108 नंबर की एम्बुलेंस संचालित है। इसके अलावा सड़क दुर्घटना में पीड़ित व्यक्ति को सरकार की ओर से नि:शुल्क चिकित्सा उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कुल 58 ट्रोमा सेंटरों का संचालन किया जा रहा है और उसमें से 48 राज्य सरकार के हैं।

टी.सी. साहरण, पूर्व सदस्य, राजस्व बोर्ड, राजस्थान ने अपने उद्बोधन में दुर्घटना उपरांत चिकित्सा और देखरेख के विषयों पर विस्तार से जानकारी दी और प्रेक्टिकल डेमो के द्वारा दुर्घटना पीड़ित की जान बचाने का तरीका बताया। उन्होंने दुर्घटना होने के बाद के एक घंटे की अवधि को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इस दौरान पीड़ित को मिली सहायता से उसकी जान बचाई जा सकती है। अनिल जैन, सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने कहा कि विगत बीस वर्षों के अनुभवों से यह देखा गया है कि दुर्घटनाओं में पीड़ितों को देखरेख के अभाव में जान से हाथ धोना पड़ रहा है।

जयपुर ट्रैफिक पुलिस के बनवारी लाल ने सी.सी.टी.वी. कैमरों के द्वारा जयपुर में घटित दुर्घटनाओं के प्रभावों को दिखाया। साथ ही, नुक्कड़ नाटक के द्वारा भी धारा 134 व सड़क सुरक्षा पर जानकारी प्रदान की गई।

कार्यशाला के प्रारम्भ में 'कट्स' के परियोजना अधिकारी अर्जुन कांत झा और सीनियर प्रोग्राम को-ऑर्डिनेटर दीपक सक्सेना द्वारा सड़क सुरक्षा के लिए किये गये कार्यों का विवरण तथा धारा 134 की महत्ता के बारे में जानकारी दी। कार्यशाला में प्रतिष्ठित एन.जी.ओ., स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि, शैक्षणिक संस्थाओं व मीडिया सहित अधिवक्ताओं ने अपनी सक्रिय भागीदारी दी।

### इस अंक में...


- बिना आवेदन दिए फूड लाइसेंस ........... 3
- भ्रष्टाचार की कमाई छिपाने में माहिर ...... 5
- राज्य में बनेगा आपदा राहत कोष .......... 7
- बिजली बिल का जोरदार झटका ........... 8
- बेटी नहीं होगी तो बहू कहां से लाओगे ..... 10

# जन सुविधाओं के रखरखाव हेतु हजारों करोड़ रुपए की आवश्यकता

जयपुर शहर के स्थानीय जन सेवाओं के रखरखाव हेतु हजारों करोड़ रुपए की आवश्यकता है, जिसमें सड़कें, सार्वजनिक प्रकाश की व्यवस्था आदि के बेहतर क्रियान्वयन की आवश्यकता है। केवल जागरूकता से परिस्थितियों में सुधार पूरी तरह से नहीं आने का कारण योजनाओं का सही प्रकार से क्रियान्वयन तथा संसाधनों की कमी हैं।

उक्त विचार पूर्व उपमहापौर मनीष पारीक ने दिनांक 16 जनवरी, 2015 को जयपुर में 'कट्स' द्वारा आयोजित 'माईसिटी' परियोजना के तीसरे चरण की शुभारम्भ बैठक के अवसर पर व्यक्त किये। 'कट्स' द्वारा 'दि एशिया फाउंडेशन' के सहयोग से 'माईसिटी' परियोजना का संचालन अगस्त, 2012 से जयपुर शहर में किया जा रहा है।

विशेष अतिथि के रूप में जस्टिस वी.एस.दवे, सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त एम्पॉवरमेंट कमेटी के पूर्व अध्यक्ष ने जयपुर को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के लिए युवा पीढ़ी की भागीदारी की आवश्यकता जताई। उन्होंने कहा कि समिति द्वारा दी गई सिफारिशों पर कोई कार्यवाही नहीं होने के कारण उन्होंने स्वयं समिति को निरस्त करने हेतु उच्चतम न्यायालय को लिखा। उन्होंने यह भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने समिति की सिफारिशों की प्रशंसा की तथा हाईकोर्ट को पी.आई.एल. के जरिये इसे देखने की सलाह दी।

जॉर्ज चेरियन, निदेशक, 'कट्स' ने अपने प्रारम्भिक सम्बोधन में कहा कि जयपुर की आबादी 2014 में 33.5 लाख हो गई है। उन्होंने कहा कि संविधान के 74वें संशोधन की धारा 54 के तथा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 के अनुसार वार्ड समितियों का गठन होना था, लेकिन यह नहीं हुआ। फलस्वरूप नागरिकों की निम्न भागीदारी के कारण स्थानीय निकाय की कमजोर सेवा वितरण प्रणाली सामने आ रही है एवं नागरिकों को अपने विचार रखने के लिए कोई मंच नहीं मिल रहा है।

कार्यक्रम के दौरान 'कट्स' द्वारा आयोजित 'गड्ढे ढूंढ़ों, इनाम पाओ' प्रतियोगिता के विजेताओं को भी प्रमाण पत्र व पुरस्कार वितरित किये गये। इस बैठक में जन-प्रतिनिधि तथा सम्बन्धित विभागों के अधिकारीगण के अतिरिक्त जयपुर के पार्षद व जयपुर नगर निगम व अन्य विभागों के विभिन्न अधिकारीगण, जयपुर के स्वयंसेवी संगठनों, क्षेत्रीय विकास समितियों के प्रतिनिधि तथा मीडिया प्रतिनिधियों सहित लगभग सौ भागीदारों ने भाग लिया।

# प्रोत्साहन राशि है गलत तरीकों से वित्तीय उत्पादों को बढ़ावा देने का कारण

67 प्रतिशत ग्राहक भ्रामक तरीके से वित्तीय उत्पादों की बिक्री का कारण बैंकों द्वारा प्रोत्साहन राशि की परम्परा को मानते हैं। इसमें वित्तीय उत्पादों की गलत व अपूर्ण जानकारी एक बड़ी समस्या है। इसी प्रकार 56 प्रतिशत उपभोक्ताओं को इन समस्याओं से पीड़ित होने के पश्चात किसी भी तरह की शिकायत निवारण व्यवस्था की जानकारी नहीं है।

'कट्स' इन्टरनेशनल तथा विच? यू.के. के संयुक्त सौजन्य से एक राष्ट्रीय स्तर की परियोजना के संचालन के तहत राष्ट्रीय स्तर पर किए गए सर्वेक्षण में यह आंकड़े सामने आए। यह सर्वे दिल्ली, कोलकाता, मुम्बई, चैन्नई व जयपुर में बैंक स्टाफ और उपभोक्ताओं पर किया गया।

सर्वे में बैंक के स्टाफ से भी कुछ प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हुए। करीब 81 प्रतिशत बैंक स्टाफ ने यह माना कि प्रोत्साहन राशि की वजह से ही बैंक स्टाफ वित्तीय उत्पादों की बिक्री के लिए प्रोत्साहित होते हैं। इसी तरह 42 फीसदी बैंकर्स ने कहा कि यदि प्रोत्साहन राशि अधिक मिलती है तो वे उत्पादों की बिक्री पर अधिक जोर लगाते हैं। करीब 76 प्रतिशत बैंकर्स का यह भी मानना है कि वित्तीय उत्पादों को किसी भी तरह बेचने के लिए उन पर दबाव भी रहता है। परियोजना का उद्देश्य बैंकिंग उपभोक्ताओं को गलत तरीके से बेचे जाने वाले वित्तीय उत्पादों को बेहतर व प्रभावी तरीके से नियंत्रित करने तथा भविष्य की रूपरेखा को दृष्टिगत रखते हुए एक पैरवी पत्र तैयार करना है।

कार्यक्रम के प्रारंभ में कट्स निदेशक जॉर्ज चेरियन ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक के उपभोक्ता चार्टर में यह साफ लिखा है कि बैंकों द्वारा वित्तीय सेवाओं को उपभोक्ता तक उचित रूप में पहुंचाना है। कार्यक्रम में अन्य वक्ताओं में भारतीय रिजर्व बैंक के बैंकिंग सुपरविजन विभाग के अतिरिक्त महाप्रबंधक धर्मेन्द्र आजाद ने माना कि गलत तरीके से उत्पादों की बिक्री एक गंभीर समस्या बनती जा रही है, बैंकों को इस पर पारदर्शिता बनाई रखनी चाहिए। कार्यक्रम में आयोजित पैनल चर्चा में भारतीय वित्तीय सेवा संस्थान के निदेशक डी.सी. अंजारिया, वाईस के असीम सान्याल, फेडकोट के अशोकन तथा नफा नुकसान के प्रमुख जय सिंह कोठारी ने अपने विचार व्यक्त किए।

### नहीं हुआ आधे बजट का उपयोग

जन-जाति उपयोजना क्षेत्र के लिए पर्याप्त बजट होने के बावजूद इसे विकास की दौड़ में पिछड़ने के लिए छोड़ दिया गया।

चालू वित्तीय वर्ष में इस क्षेत्र के लिए इतना धन बरसा कि यदि उसका पूरा उपयोग होता तो क्षेत्र के लोगों को जमकर राहत मिलती, लेकिन अरबों रुपए का यह धन चुनाव की आड़ में प्रशासनिक अनदेखी की भेंट चढ़ गया। धन का पूरा उपयोग नहीं होने से गरीब इसके लाभ से वंचित रह गए।

वर्ष 2014-15 में 9 लाख 17 हजार 809 लाख रुपए की राशि का आवंटन हुआ, लेकिन खर्च महज 43.93 प्रतिशत ही हो पाया। यह राशि कुल ग्यारह मदों पर स्वीकृत हुई थी। इनमें तीन मदों को छोड़कर किसी में भी 50 फीसदी राशि का उपयोग नहीं हुआ। इससे बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ जिले और उदयपुर व सिरोही जिले की कुछ तहसीलों को नुकसान उठाना पड़ा। *(रा.प., 04.03.15)*

### एक रिपोर्ट पर करोड़ों के वारे न्यारे

बीसलपुर पाइप लाइन बिछाने वाली कंपनी और राजस्थान अरबन इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेन्ट प्रोजेक्ट (आरयूआईडीपी) के अधिकारियों ने नियम-कायदे मिट्टी में दबाते हुए सरकार को करीब छह करोड़ रुपए की चपत लगा दी। पाइप लाइन डालने के लिए खुदाई की दर तय की गई थी, मगर एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए महंगी दर से भुगतान कर दिया गया।

कंकरीट मिली मिट्टी को चट्टान बताते हुए दस गुना दर से भुगतान उठा लिया गया। प्राथमिकी जांच पर कई माह की तफ्तीश के बाद भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) में एफआईआर दर्ज कराई गई। *(रा.प., 04.03.15)*

### नहीं मिल रही मुफ्त दवा

निःशुल्क दवा योजना के तहत पर्ची पर लिखी दवाओं में से 100 फीसदी पर अनुपलब्धता का ठप्पा लग रहा है। राजस्थान पत्रिका की इस खबर से स्वास्थ्य विभाग में हड़कम्प मच गया। उच्चाधिकारियों ने योजना से जुड़े आला अफसरों से जवाब तलब किए तो कई परतें स्वतः ही खुलती चली गई। अस्पताल और राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने में जुट गए।

राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन का कहना है कि अधिकांश दवाइयां अस्पतालों को भेजी जा रही है, जबकि अस्पतालों का कहना है कि मांग भेजने के बावजूद पूरी आपूर्ति नहीं मिल रही है। पड़ताल में सामने आया कि हर समय उपलब्धता बनाए रखने के लिए गठित लोकल फंड भी गायब सा हो गया है। यह हालत तो तब है जब योजना का बजट पहले की तुलना में करीब 25 फीसदी बढ़ाया गया है। *(रा.प., 20.01.15)*

## बिना आवेदन दिए फूड लाइसेंस

सीएमएचओ जयपुर (प्रथम) ने ऐसे व्यापारियों को फूड लाइसेंस जारी कर दिए जिन्होंने आवेदन ही नहीं किया था। लाइसेंस मिलने के बाद व्यापारियों ने आवेदन किया तो सीएमएचओ ने इन आवेदनों की जांच तक नहीं कराई और न ही टर्न-ओवर संबंधी कागजात मांगे। वर्ष 2012 एवं 2013 में हुई जांच में इस धांधली का खुलासा हुआ है।

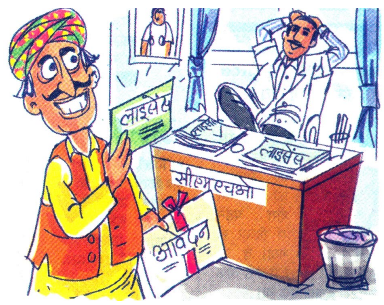


चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त निदेशक ने अपनी जांच में सीएमएचओ जयपुर (प्रथम) ओ.पी. थाकन को लापरवाही और सरकार को राजस्व हानि पहुंचाने का जिम्मेदार माना है। इतना ही नहीं नियमों के विपरीत जाकर विभाग के अफसरों ने फूड लाइसेंस के लिए नगद राशि लेने का प्रावधान नहीं होने पर भी नकद राशि ली और इसे तत्काल सरकारी खाते में भी जमा नहीं कराया।

यह खुलासा महेश नगर निवासी पंकज जैन द्वारा आरटीआई कानून के तहत मांगी गई जांच रिपोर्ट में हुआ। *(दै.भा., 24.02.15)*

### बो दिए घोटाले के बीज

प्रदेश में किसानों को रियायती बीज उपलब्ध कराने की 350 करोड़ रुपए की योजना सवालों के घेरे में है। योजना के तहत रबी फसल (2013-14) के बीज बांटे जाने थे। इसके लिए अधिकृत निजी फर्मों ने कृषि विभाग और सीड्स कॉर्पोरेशन के अधिकारियों से मिलीभगत कर कागजों में ही किसान तैयार किए और कागजों में ही बीज बांट दिए।

इस गोलमाल का सबसे पहले अलवर की दर्जनों ग्राम पंचायतों में खुलासा हुआ है। भास्कर के पास घोटाले को अंजाम देने वाले निजी फर्मों के प्रतिनिधियों की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी मौजूद है, जिसमें माना है कि फर्जी बीज वितरण हुआ है। योजना के तहत 11.99 लाख क्विंटल बीज बांटा जाना था।

आशंका है कि आधा बीज बाजार में बेचा गया। बीज विक्रेताओं ने सस्ते दाम पर बीज खरीदा, लेकिन कुछ जागरूक व्यापारियों ने इस गड़बड़झाले की पोल खोल दी। किसान मामले की जांच एसीबी से कराने की मांग कर रहे हैं। *(दै.भा., 28.03.15)*

### केन्द्र से आई राशि का नहीं हुआ उपयोग

जल परियोजनाओं के लिए केन्द्र से आई राशि का पांच सालों में भी उपयोग नहीं हुआ। सत्ता पक्ष के विधायक राव राजेन्द्र सिंह ने अफसरों पर सवाल खड़े करते हुए प्रश्नकाल के दौरान कुछ कागजात रखते हुए बताया कि वर्ष 2009-10 में लघु सिंचाई के त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत सात परियोजनाओं के लिए केन्द्र से 14 करोड़ 17 लाख रुपए आए थे। आज तक इस पैसे का उपयोग हुआ या नहीं व इसके क्या उपयोगिता प्रमाण-पत्र केन्द्र सरकार को भिजवाए गए हैं? इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई।

उन्होंने कहा कि हकीकत यह है कि इस राशि का उपयोग ही नहीं हुआ। पेयजल संबंधी एक योजना में करीब आठ करोड़ रुपए 2008-09 में आए जिसमें से अब तक केवल तीन लाख रुपए का ही उपयोग हुआ है। इस पर जल संसाधन मंत्री रामप्रताप ने कहा हाल ही कुछ उपयोगिता प्रमाण-पत्र भेजे गए हैं। कोई गड़बड़ी हुई है तो कार्रवाई की जाएगी। *(रा.प., 28.02.15)*

### केन्द्र से मिला धन, समय पर नहीं खर्च

केन्द्र से आवंटित राशि को खर्च करने में कृषि विभाग काफी पीछे रहा है। राजस्थान को वर्ष 2014-15 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत केन्द्र द्वारा 370 करोड़ 28 लाख रुपए जारी किए गए। इसमें से कई महीने बीतने के बाद भी राज्य सरकार अभी तक 133 करोड़ 60 लाख रुपए ही खर्च कर पाई है। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन और नेशनल हॉर्टीकल्चर मिशन योजना में भी काम ठंडा पड़ा है।

केन्द्र सरकार कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए अनेक योजनाएं चलाती है और राज्य को उपयुक्त मात्रा में धन भी उपलब्ध कराती है लेकिन इन योजनाओं के तहत मिली राशि समय पर खर्च नहीं होने से किसानों को कोई लाभ नहीं मिल पाता। *(न.नु., 12.02.15)*

### गबन के मामलों में नहीं हुई कार्रवाई

राज्य के पंचायत, स्थानीय निकाय, कृषि विपणन व अन्य संस्थाओं में सरकारी कारिन्दों ने 238 करोड़ रुपए का गबन कर लिया। प्रदेशभर में 2013-14 के दौरान गबन के 7908 मामले उजागर हुए, लेकिन इन पर कार्रवाई अभी भी लम्बित है। स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग की रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ है। रिपोर्ट हाल ही विधानसभा में पेश की गई।

इसके मुताबिक गत वर्ष 31 मार्च तक 50 हजार रुपए से अधिक गबन के सर्वाधिक 391 मामले पंचायतराज विभाग में लम्बित थे। सर्वाधिक 622.58 लाख रुपए का गबन राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम के जरिए किया गया। पंचायतों में 50 हजार रुपए से कम के 7194 मामलों में भी 411.37 लाख रुपए का गबन उजागर हुआ। इसी तरह अन्य संस्थाओं में हुए गबन के मामलों में भी समय पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। *(रा.प., 29.03.15)*

### मिलावटियों के हौसले बुलन्द

प्रदेश में मिलावट के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम लागू है। कानून के तहत मिलावट साबित होने पर उम्र कैद तक की सजा और अधिकतम 10 लाख रुपए तक के जुर्माने की सजा का प्रावधान है। लेकिन राज्य सरकार के ढुल-मुल रवैये के चलते पूरे प्रदेश में मिलावटियों के हौसले बुलन्द हैं।

मुंह-मांगे दाम देने के बावजूद बाजार में बिकने वाली वस्तु में क्या मिलावट मिल जाए, कोई नहीं जान सकता। प्रदेश में पूर्व में चलाए गए 'शुद्ध के लिए युद्ध अभियान' भी मिलावट रोकने में खास कारगर साबित नहीं हुए। ऐसे में उपभोक्ता के पास केवल हाथ मलने के अलावा कोई चारा नहीं है। जबकि सम्बन्धित अधिकारी संसाधनों और कर्मचारियों की कमी बता कर पल्ला झाड़ रहे हैं। *(रा.प.,02.02.15)*

## तीन गुना बढ़ गया पद का दुरुपयोग

राज्य में पद के दुरुपयोग के मामले में तीन गुना बढ़ोतरी हुई है। इस कड़वी हकीकत का खुलासा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से प्राप्त आंकड़ों के माध्यम से सामने आया है। पद मिलने के बाद विभाग में विकास की बात हो या नहीं, लेकिन अधिकारी या कर्मचारी ने पद से अन्य को लाभ जरूर पहुंचाया है।

*__पद का दुरुपयोग दंडनीय अपराध__*

*कोई भी राजपत्रित या अराजपत्रित अधिकारी किसी पद पर तैनात रहते हुए स्वयं को, परिचित को, रिश्तेदार को या किसी अन्य को लाभ पहुंचाता है, तो वह पद के दुरुपयोग की श्रेणी में आता है। यह दंडनीय अपराध है और इसमें कई साल तक की सजा का प्रावधान है।*

सुनने में आपको भले ही अजीब लगे, लेकिन यह सच है। पिछले सात सालों में पद के दुरुपयोग के मामले में राजपत्रित अधिकारी अव्वल रहे हैं। सात साल में 1072 अधिकारियों ने पद का दुरुपयोग किया। इनमें 592 राजपत्रित अधिकारी और 480 अराजपत्रित अधिकारी शामिल हैं। अव्वल रहे राजपत्रित अधिकारियों की संख्या 112 से अधिक रही। *(दै.न., 15.01.15)*

### गलत तरीके से खर्चे डेढ़ अरब रुपए

मनरेगा में होने वाले खर्च में अफसरों की मनमर्जी से प्रदेश में एक अरब 55 करोड़ 37 लाख 73 हजार रुपए का गलत तरीके से भुगतान किया गया। इसका खुलासा चालू वित्तीय वर्ष में हुआ है। मनरेगा आयुक्त (ईजीएस) रोहित कुमार ने भी इस गड़बड़झाले होना स्वीकार किया है।

उन्होंने सभी जिला कलक्टर व जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को पत्र लिख कर दोषी अधिकारी व कर्मचारियों से भुगतान की राशि वसूलने के निर्देश दिए हैं। यह गलत खर्च अधिक मजदूरी, 100 दिन से ज्यादा काम देने, निर्धारित सीमा से ज्यादा सामग्री बिलों का भुगतान तथा प्रशासनिक खर्च में ज्यादा खर्च कर किया गया है।

*(दै.न., 02.02.15 एवं रा.प., 08.02.15)*

### नहीं हुआ सांसद कोष से एक पैसा खर्च

सांसद कोष से अपने निर्वाचन क्षेत्र में विकास के काम करने में मौजूदा सांसदों का रिकॉर्ड भी पुराने सांसदों से बेहतर नहीं है। केन्द्र सरकार नए सांसदों को कोष से खर्चा करने के लिए 60 करोड़ रुपए दे चुकी है। लेकिन अभी प्रदेश के सात सांसदों ने सांसद कोष से खर्च का खाता भी नहीं खोला है।

केवल दो सांसदों ने पुराने सांसदों की बची राशि में से मंजूरी देकर शुरुआत की है। प्रदेश के सांसदों ने इस साल में अब तक केवल 24 करोड़ रुपए के कार्यों को मंजूरी दी है। इसमें से भी महज 10 करोड़ रुपए के काम ही शुरू हो पाए हैं। *(रा.प., 09.01.15)*

### नहीं हो रहा श्रमिकों का कल्याण

कोष में 820 करोड़ रुपए होने के बावजूद प्रचार-प्रसार के अभाव में भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिकों का कल्याण नहीं हो रहा। हर साल प्रदेश में निजी, सरकारी निर्माण कार्यो से एक प्रतिशत सेस से 150 से 200 करोड़ की राशि भवन एवं अन्य सनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल के पास जमा हो रही है।

अब तक इस कोष में 820 करोड़ रुपए जमा है। लेकिन इस कोष से मात्र 59 करोड़ रुपए ही श्रमिक कल्याण पर खर्च हो सके हैं। *(रा.प. एवं दै.न., 01.02.15)*

## भ्रष्टाचार की कमाई छिपाने में माहिर

भ्रष्टाचार में लिप्त सरकारी कर्मचारी और अधिकारी काली कमाई छिपाने में माहिर है। भ्रष्टाचार पर निगरानी रखने वाली एसीबी भी इस कमाई को उजागर करने में खास कामयाब नहीं हो पाई है। यही कारण है कि रंगे हाथ रिश्वत लेने व पद के दुरुपयोग के कई मामले दर्ज करने वाली एसीबी आय से अधिक सम्पत्ति के मामले तलाशने में कमजोर है।

आय से अधिक सम्पत्ति के मामले में एसीबी मामला दर्ज करने से पहले संबंधित अधिकारी या कर्मचारी की सम्पत्ति की जानकारी जुटाती है। इसके बाद इसकी तुलना उसके वेतन से करती है। यह भी सामने आया है कि चतुर अधिकारी व कर्मचारी परिवार के बजाय दूसरे के नाम से सम्पत्ति खरीदते और बेचते हैं। *(रा.प.,04.01.15)*

### नकद लेन-देन को करेंगे काबू

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सरकार ने कालेधन पर रोक लगाने के लिए कई उपाय किए हैं और इसी उद्देश्य से नकदी लेन-देन को हतोत्साहित करने के कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था में तेजी आने और लोगों की व्यय शक्ति बढ़ने पर लेन-देन में नकदी का उपयोग कम होगा तब चेक व प्लास्टिक मुद्रा (डेबिटकार्ड, क्रेडिटकार्ड आदि) का उपयोग बढ़ेगा। अधिकांश विकसित देशों में लेन-देन में नकदी का उपयोग बहुत कम व प्लास्टिक मुद्रा का चलन अधिक होता है।

सरकार ऊंचे मूल्य के नकद में होने वाले हस्तान्तरण को रोकने के लिए पहल कर रही है। सरकार डेबिटकार्ड, क्रेडिटकार्ड व चेक से राशि हस्तान्तर को प्रोत्साहित कर रही है तथा एक लाख से अधिक की खरीद बिक्री के लिए पैन का उल्लेख करना अनिवार्य बना दिया है। सरकार ने अचल संपत्तियों की खरीद के लिए 20 हजार रुपए या इससे अधिक नकद भुगतान अथवा प्राप्ति पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए आयकर कानून में भी संशोधन का प्रस्ताव किया है। *(रा.प. एवं न.नु., 28.03.15)*

### भ्रष्टाचार तोड़ रहा जनता का भरोसा

देश में भ्रष्टाचार की जड़े गहरी होती जा रही है, जिससे धीरे-धीरे जनता का भरोसा टूट रहा है। इसके अलावा वर्तमान में देश को अनैतिक धर्म गुरुओं और बाबाओं के चंगुल से बचाना भी जरूरी हो गया है। यह बात जयपुर के राजापार्क में आयोजित एक कार्यकर्ता सम्मेलन में राजस्थान के लोकायुक्त सज्जन सिंह कोठारी ने कही।

सम्मेलन में पूर्व राज्यपाल नवरंग लाल टिबरेवाल ने कहा कि भ्रष्टाचार जीवन के हर क्षेत्र में कैंसर की तरह फैल चुका है और जब तक आम आदमी इसके खिलाफ खड़ा नहीं होगा तब तक इससे मुक्ति नहीं मिल सकती। *(रा.प. एवं दै.भा., 30.03.15)*

### घूसखोरी व धोखाधड़ी से नुकसान

निवेश को बढ़ावा देने के साथ ही कारोबार को आसान बनाने के लिए किए जा रहे सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद अर्थव्यवस्था के लिए भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और कॉर्पोरेट धोखाधड़ी सबसे बड़े जोखिम बने हुए हैं। उद्योग संगठन फिक्की व पिंकर्टन इंडिया जोखिम सर्वे 2015 में भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और कॉर्पोरेट धोखाधड़ी समेत 12 ऐसे जोखिमों की पहचान की गई है, जो आर्थिक विकास को पटरी से उतार सकते हैं।

जारी सर्वे रिपोर्ट के अनुसार अर्थव्यवस्था के तमाम जोखिमों में सर्वाधिक 10.26 फीसदी हिस्सा भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और कॉर्पोरेट धोखाधड़ी है। इसके बाद दूसरे नंबर पर सूचना एवं साइबर खतरा और तीसरे स्थान पर आतंकवाद व घुसपैठ आते हैं। *(न.नु. एवं दै.न., 31.03.15)*

### काला धन तो गिरेगी गाज

भारतीयों द्वारा विदेशों में जमा काले धन को वापस लाने, इस बुराई पर लगाम लगाने और भविष्य में इस तरह के गोरख-धंधे को रोकने के लिए प्रस्तावित नये विधेयक के तहत सिर्फ काला धन जमा करने वालों पर ही नहीं बल्कि इसमें संलिप्त बैंकों, चार्टर्ड अकाउंटेंट, निदेशकों और कर्मचारियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।

केन्द्रीय वित्त मंत्रालय ने प्रस्तावित नए कानून की बारीकियों को समझाते हुए कहा कि काले धन के मोर्चे पर इससे जुड़े हर किसी पर गाज गिरेगी। केन्द्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा लोकसभा में पेश किए गए अघोषित विदेशी आय एवं संपत्तियों पर कराधान विधेयक 2015 में ऐसे कई प्रावधान है, जो काले धन पर लगाम लगाने में सक्षम होंगे। *(न.नु., 24.03.15)*

### घोटालों में सरपंच व रिश्वत में पुलिस अव्वल

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने 2014 में जो कार्रवाई की, उसके मुताबिक पद का दुरुपयोग कर घोटालों के मामले में सरपंच अव्वल और दूसरे नम्बर पर रहे हैं नगरीय विकास विभाग के अधिकारी। घोटालों के बाद रिश्वत के मामले में पुलिस अव्वल रही है।

एसीबी ने 2014 में आय से अधिक सम्पत्ति और पद के दुरुपयोग व रिश्वत के 460 मामले दर्ज किए। इनमें से सबसे अधिक कार्रवाई पंचायतीराज विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ रही। सरपंचों, सचिवों, ग्रामसेवकों व इंजीनियरों के खिलाफ 79 मामले दर्ज किए। इनमें सबसे ज्यादा मामले सरपंचों के खिलाफ हैं। नगरीय विकास विभाग के अधिकारियों के खिलाफ 38 मामले दर्ज हुए। रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े जाने वालों में पुलिस महकमा सबसे आगे है। पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ 70 मामले दर्ज किए गए। इनमें 65 मामले रिश्वत लेने के हैं। *(रा.प., 05.01.15)*

### भ्रष्टाचारः शिकायत हैल्पलाइन

मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने प्रदेश में भ्रष्टाचार की तत्काल शिकायत के लिए हैल्पलाइन शुरू की है। इसका टोल फ्री नंबर 1800-180-6127 है। इस पर मिलने वाली शिकायत पर राज्य सरकार तुरंत कार्रवाई करेगी। शिकायत राजस्थान पोर्टल 'राजस्थान संपर्क' पर भी दर्ज की जाएगी। जिसके टोकन नंबर शिकायतकर्ता को दिए जाएंगे। *(दै.भा., 09.03.15)*

# रिश्वत राशि लौटाने की योजना अधरझूल में

रिश्वत मांगने वालों को रंगे हाथ पकड़ाने के लिए दी जाने वाली रकम परिवादी को लौटाने की योजना तीन वर्ष बाद भी अमल में नहीं लाई गई। रिश्वत की राशि लौटाने के लिए रिवॉल्विंग फंड बनाने का प्रस्ताव एसीबी, गृह विभाग व वित्त विभाग में अटका हुआ है। कई आपत्तियों को दूर करने के बाद संशोधित प्रस्ताव दो सप्ताह पहले ही एसीबी ने वित्त विभाग को भेजा है।

भ्रष्टाचार की शिकायत करने वालों को प्रोत्साहित करने तथा अदालती कार्रवाई के दौरान परिवादी की मजबूत गवाही के उद्देश्य से यह फंड बनाना प्रस्तावित है। वर्ष 2011 में इस व्यवस्था के लिए कागजी कवायद शुरू हुई थी। *(रा.प., 06.01.15)*

## *बनना है रिवॉल्विंग फंड*

*प्रस्ताव के अनुसार पचास लाख रुपए का रिवॉल्विंग फंड बनना है। मामले में चालान पेश होने के बाद जरूरतमंद शिकायतकर्ता को ट्रेप कार्रवाई के दौरान जब्त की गई रकम लौटाने की व्यवस्था होगी। यह प्रक्रिया अभियोजन पक्ष की गवाही के बाद होगी। गवाह के पक्षद्रोही न होने और उसकी मदद के लिए यह योजना कारगर सिद्ध होगी।*

## विगत तीन माह के दौरान रिश्वत लेते गिरफ्तार कुछ प्रकरणों की संक्षिप्त बानगियां

| जिला | रिश्वत लेने वाले भ्रष्टाचारी का नाम | कार्यरत विभाग का नाम व पद | रिश्वत में ली राशि (रुपए में) | स्त्रोत |
|---|---|---|---|---|
| उदयपुर | जयंत दशोरा | हैल्पर, अजमेर विद्युत वितरण निगम | 10,000 | दै.न., 03.01.15 |
| जोधपुर | राकेशकुमार खटीक | कनिष्ठ अभियंता, जोधपुर डिस्कॉम | 8,000 | रा.प. एवं दै.न., 04.01.15 |
| जयपुर | कुंजबिहारी माथुर | एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, पंत कृषि भवन | 15,000 | दै.भा. एवं रा.प., 09.01.15 |
| उदयपुर | धूल चन्द डांगी | पटवारी, मटून कानपुर ढ़ाकरड़ा (सराड़ा) | 11,000 | दै.भा., 10.01.15 |
| राजसमंद | ओमप्रकाश आगात | फोरमैन, खनिज विभाग | 25,000 | दै.न., 21.01.15 |
| जोधपुर | बजरंगलाल महीच | प्रिंसिपल, बीएसएफ की सेंट्रल स्कूल | 2,000 | दै.भा., 22.01.15 |
| बांसवाड़ा | मुकेश मोड पटेल<br>संजय रेबारी<br>चन्दू लाल श्रीमाली | खंड विकास अधिकारी, गढ़ी पंचायत समिति<br>कनिष्ठ लिपिक, गढ़ी पंचायत समिति<br>वरिष्ठ लिपिक, गढ़ी पंचायत समिति | 1,00,000 | रा.प. एवं दै.न., 05.02.15 |
| प्रतापगढ़ | भैरूसिंह राजपूत | एसएचओ, धरियावद थाना, प्रतापगढ़ | 2,000 | दै.न., 05.02.15 |
| जयपुर | आरएस मान<br>सुन्दर चेटीवाल | इंस्पेक्टर, सीआईएसएफ, जयपुर<br>बिचौलिया व सुपरिडेंट, महिला आईटीआई | 50,000 | दै.भा. एवं दै.न., 07.02.15 |
| उदयपुर | डॉ. गौतम डामोर | प्रसूती रोग विशेषज्ञ, जनाना अस्पताल | 2,000 | दै.भा. एवं दै.न., 14.02.15 |
| बांसवाड़ा | विश्वेश्वर ठाकुर<br>विजय कुमार | रीडर, घाटोल न्यायालय<br>चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, घाटोल न्यायालय | 5,000 | रा.प. एवं दै.न., 17.02.15 |
| धौलपुर | सुधीर चौहान<br>राजू पहाड़िया | अभियंता, विद्युत निगम कार्यालय, मरैना<br>लाइनमैन, विद्युत निगम कार्यालय, मरैना | 5,000 | रा.प., 20.02.15 |
| श्रीगंगानगर | अनिल पारीक<br>कैलाश | कनिष्ठ लिपिक, औषधि नियंत्रण विभाग<br>चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, औषधि नियंत्रण विभाग | 5,000 | रा.प., 21.02.15 |
| बूंदी | शंकरलाल मीणा<br>पीर मोहम्मद | कैशियर, नगर पालिका, बूंदी<br>सहायक कर्मचारी, नगर पालिका, बूंदी | 15,000 | रा.प., 24.02.15 |
| जयपुर | दीपक अग्रवाल | कनिष्ठ लिपिक, आबकारी विभाग | 70,000 | रा.प. एवं दै.भा., 24.02.15 |
| पाली | दिलीप परिहार | एक्सईएन, सार्वजनिक निर्माण विभाग | 50,000 | दै.भा. एवं रा.प., 26.02.15 |
| बीकानेर | मनीष राजपुरोहित | व्याख्याता, छोटूनाथ सी.सै.स्कूल, नोखा | 1,500 | दै.भा., 03.03.15 |
| बांसवाड़ा | राजेन्द्र व्यास | कनिष्ठ तकनीकी सहायक (जेटीए), मनरेगा | 18,000 | दै.भा., 12.03.15 |
| हनुमानगढ़ | कजोड़मल दूड़िया | अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (एडीएम), हनुमानगढ़ | 5,00,000 | रा.प. एवं दै.भा., 15.03.15 |
| जयपुर | बनवारी लाल शर्मा | सहायक उपनिरीक्षक, करणी बिहार थाना | 8,000 | दै.भा. एवं रा.प., 17.03.15 |

### मतभेद भुला विकास में जुटें–मोदी

योजना आयोग की जगह गठित हुई नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की पहली बैठक को सम्बोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों से राजनीतिक मतभेद भुलाकर विकास के लिए मिलकर काम करने की अपील की। बैठक में पश्चिमी बंगाल को छोड़कर सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केन्द्र शासित प्रदेशों के उप राज्यपाल शामिल हुए।

मोदी ने सभी से देश की समृद्धि के लिए काम करने की जरूरत पर बल देते हुए गरीबी को देश के लिए एक बड़ी चुनौति बताया। बैठक में राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने सुझाव दिया कि योजना बनाने का जिम्मा राज्यों को दिया जाए ताकि राज्यों के विकास को गति मिल सके। *(रा.प.एवं दै.भा., 09.02.15)*

### मध्यम आय वर्ग आयोग का गठन

प्रदेश में मिडिल क्लास परिवारों के समग्र विकास के लिए राजस्थान राज्य मध्यम वर्ग आयोग का गठन होगा। आयोग का प्रारूप तैयार करने के लिए पिछले दिनों सचिवालय में आयोजित एक बैठक में चर्चा के दौरान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा है कि यह आयोग ऐसे परिवारों के पिछड़ेपन के कारणों व उनके विकास से संबंधित सुझाव एवं सिफारिशें राज्य सरकार को देगा। *(दै.न., 05.03.15)*

### जन–धन के साथ सेहत का बीमा

जन–धन योजना के बैंक खातों पर अब स्वास्थ्य बीमा देने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए केन्द्र सरकार कम प्रीमियम वाली स्कीम पर विचार कर रही है। इसमें आधार कार्ड की अहम भूमिका होगी। हालांकि प्रीमियम की राशि खाता धारक की आय के आधार पर तय होगी। स्कीम के अनुसार प्रीमियम की राशि खुद खाता धारक को देनी होगी।

जन–धन खातों में पहले से ही सरकार जीवन बीमा और दुर्घटना बीमा कवर दे रही है। यदि नई योजना को मंजूरी मिलती है तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा में भी बदलाव हो सकता है। *(दै.भा. एवं दै.न., 01.02.15)*

### गांव–ढ़ाणी तक हो पैसे का सदुपयोग

मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा है कि सरकार का बड़ा पैसा पंचायत राज के मार्फत गांव–ढ़ाणी तक जाता है। इस पैसे का सही उपयोग हो और वह सही लोगों के हाथों से होकर निचले स्तर तक जाना चाहिए। ऐसे में पंचायती राज जनप्रतिनिधियों के पढ़े–लिखे होने की अनिवार्यता जरूरी हो गई थी। इस बारे में उन्होंने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है।

उन्होंने कहा पंचायत चुनावों में प्रत्याशी के घर में शौचालय होने की अनिवार्यता लागू कर हमने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाया है। इससे दो माह में ही प्रदेश में छह लाख शौचालय बन गए। यह महिलाओं की प्रतिष्ठा से भी जुड़ा एक कदम है। *(दै.न., 17.01.15)*

### शुरू होगी अटल पेंशन योजना

केन्द्र सरकार ने बजट में अटल पेंशन योजना शुरू करने की घोषणा की है। यह योजना एक जून से शुरू की जाएगी और यह असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले सभी नागरिकों पर केन्द्रित होगी। इसके तहत 60 साल की उम्र के बाद उन्हें 5000 रुपए तक पेंशन मिलेगी।

वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि इस योजना के तहत असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले उन सभी नागरिकों पर जोर होगा जो पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में शामिल है। *(रा.प., 02.03.15)*

### गुड गवर्नेंस बिल लाने की तैयारी

मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जानकारी दी है कि आम आदमी से जुड़ी सेवाओं को समयबद्ध तरीके से पहुंचाने के लिए सरकार ने गुड गवर्नेंस बिल लाने की तैयारी शुरू कर दी है। यह सुनवाई का अधिकार और लोक सेवा गारंटी एक्ट की जगह ले सकता है। आम आदमी को कम से कम कानूनों में ज्यादा अधिकार देने के लिए यह बिल लाया जा रहा है।

इसके जरिए सरकारी विभागों में सभी कामों के लिए समय सीमा निर्धारित की जाएगी। देरी होने पर संबंधित विभाग के अधिकारियों पर जुर्माना लगाया जाएगा, जिसका भुगतान उन्हें खुद की जेब से करना होगा। इसके लिए सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री अरुण चतुर्वेदी की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है।

*(रा.प., 24.01.15 एवं दै.भा., 21.02.15)*

### केन्द्रीय करों में मिलेगा ज्यादा हिस्सा

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि राज्यों को केन्द्रीय करों में अब ज्यादा हिस्सा मिलेगा। अभी तक यह 32 फीसदी था। अगले वित्त वर्ष से 42 फीसदी मिलेगा। केन्द्र सरकार ने इस बारे में 14वें वित्त आयोग की सिफारिशें मान ली हैं।

अब राज्य न केवल अपनी जरूरतों के मुताबिक योजनाएं बना सकेंगे, बल्कि उन्हें हस्तान्तरित रकम का इस्तेमाल करने की भी आजादी होगी। इसके लिए वे केन्द्र पर निर्भर नहीं होंगे। *(दै.भा. एवं न.नु., 25.02.15)*

## राज्य में बनेगा आपदा राहत कोष

मुख्यमंत्री वसुधरा राजे ने कहा है कि प्रदेश में अलग से आपदा राहत कोष का गठन किया जाएगा, जिससे प्रभावितों को तत्काल सहायता प्रदान की जा सके। मदद के लिए आम जन भी इस कोष में सहयोग दे सकेंगे। काउंटर टेररिज्म कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि प्रदेश में बेमौसम की बारिश से आई प्राकृतिक आपदा किसी एक दल की नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश की है।

कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने जयपुर आए गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राज्य के प्रभावित किसानों को केन्द्र पूरी मदद देगा। इस पर राजे ने उनसे आग्रह किया कि किसानों को राहत देने के लिए आपदा राहत कोष के नियमों में आवश्यक संशोधन किया जाना चाहिए, जिससे किसानों को वास्तविक क्षति के आधार पर राहत दी जा सके। *(रा.प. एवं दै.भा., 20.03.15)*

# बिजली बिल का जोरदार झटका

आखिरकार लोगों की जेब पर बिजली गिर ही गई। लम्बी जद्दोजहद के बाद विद्युत निगमों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए विद्युत विनियामक आयोग ने बिजली की दरों में 16.89 फीसदी बढ़ोतरी कर दी। घरेलू उपभोक्ताओं पर 50 पैसे से 95 पैसे प्रति यूनिट तक का भार डाला गया है। इसके अलावा स्थाई शुल्क भी 35 रुपए प्रतिमाह तक बढ़ाया गया है। अघरेलू श्रेणी में 1.25 रुपए और उद्योगों में एक रुपए प्रति यूनिट तक की बढ़ोतरी की गई है।

नई दरें फरवरी से लागू की गई है। कृषि बिजली में भी बढ़ोतरी की गई है। हालांकि सरकार ने कहा है कि कृषि, बीपीएल और छोटे घरेलू उपभोक्ताओं को 6175 करोड़ रुपए का अनुदान जारी रहेगा। नई रेट और फ्यूल सरचार्ज के एक साथ जुड़ने से मार्च के बिल में उपभोक्ताओं को 40 फीसदी तक का ज्यादा करंट लग सकता है। *(दै.न., दै.भा. एवं रा.प., 21.02.15)*

## बिजली कंपनियों की होगी ऑडिट

मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने विधानसभा में 75 हजार करोड़ रुपए से अधिक के घाटे से जूझ रही तीनों बिजली वितरण कंपनियों के खर्च और राजस्व का ऑडिट कराने की घोषणा की है। राजे ने कहा कि बिजली कंपनियों के लिए नई स्कीम बनाई जाएगी, जिसके तहत ऑडिट में अनियमितता पाए जाने पर दोषी के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी और अच्छा काम करने वालों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि विद्युत चोरी के मामलों में 10 हॉर्सपावर तक की मोटर पर 1000 रुपए तथा इससे अधिक पर 500 रुपए प्रति हॉर्सपावर चार्ज लिया जाएगा। छीजत का घाटा पूरा करने के लिए बिजली कंपनियां बिजली महंगी करती है। ऑडिट से बिजली छीजत और चोरी पर लगाम लगेगी।

*(रा.प. एवं दै.भा., 27.03.15)*

## राज्य में बनेंगे तीन सोलर पार्क

राज्य के सौर ऊर्जा हब पर केन्द्र सरकार की नजर टिकी हुई है। इसके लिए केन्द्र स्तर पर एक प्लान तैयार किया जा रहा है। प्लान के मुताबिक प्रदेश में सौर ऊर्जा उत्पादन को लेकर सब्सिडी बेस यूनिट लगाने की योजना है। हाल ही राज्य में तीन सोलर पार्क की स्थापना के लिए केन्द्र सरकार ने 540 करोड़ रुपए की सहायता मंजूर की है।

यह पार्क बाड़ला (जोधपुर) फेज-700 मेगावाट तथा संयुक्त उपक्रम में बाड़ला फेज-3 तथा जैसलमेर में एक-एक हजार मेगावाट के दो पार्क विकसित किए जाएंगे। इन पार्कों में कुल 2700 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन की यूनिट स्थापित होंगी। *(दै.न., 03.01.15)*

## चोरी में गई 2500 करोड़ की बिजली

तंगहाल स्थिति का राग अलापने वाले राजस्थान डिस्कॉम को बिजली चोरी का 'करंट' झेलना पड़ रहा है। प्रदेश में बिजली चोरी रोकने में डिस्कॉम 'फ्यूज' साबित हुआ है। पिछले वित्तीय वर्ष 2013-14 के आंकड़ों के मुताबिक करीब 2500 करोड़ रुपए की बिजली चोरी की 'रीडिंग' आई है।

यह तो तब है जबकि 14 फीसदी की तकनीकी छीजत को अलग रखा गया है। बिजली चोरी से हुई इस चपत को घाटे में दर्शाकर डिस्कॉम ने बिजली दरों में 20 फीसदी तक की बढ़ोतरी की याचिका राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग में पेश की है।

*(रा.प., 19.02.15)*

## खुलेगा सस्ती एलईडी का विकल्प

प्रदेश के 85 लाख से अधिक उपभोक्ताओं के लिए जल्द ही सस्ती एलईडी का विकल्प खुलेगा। इसमें उन्हें मासिक किश्त के रूप में दाम चुकाने की सुविधा भी मिलेगी। दरअसल, राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग ने राजस्थान डिस्कॉम की एलईडी का पैसा बिल में किश्त के रूप में वसूलने की याचिका स्वीकार कर ली है।

इसके साथ ही डिस्कॉम ने ऊर्जा बचत के क्षेत्र में केन्द्र सरकार की अधिकृत एनर्जी एफीशिएंसी सर्विस लिमिटेड से करार की तैयारियां शुरू कर दी है। यह नई दिल्ली की तर्ज पर उपभोक्ताओं को एलईडी उपलब्ध कराएगा। एलईडी के उपयोग से उपभोक्ताओं के बिजली बिल में खासी कमी आएगी।

*(रा.प., 25.03.15)*

## हर बिजली उपभोक्ता पर कर्ज

बिजली का बिल जमा कराने के बावजूद प्रदेश का हर उपभोक्ता 69 हजार रुपए के कर्ज में डूबा है। चौंकिए मत, यह आंकड़ा उपभोक्ता की गलती नहीं, राजस्थान डिस्कॉम के कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार के चलते जा पहुंचे 72 हजार करोड़ रुपए के कर्ज का है। राजस्थान डिस्कॉम की दूसरे राज्यों से की गई आर्थिक समीक्षा में यह सामने आया है।

इस कर्ज को उपभोक्ता के हिसाब से बांटकर देखा गया तो सामने आया कि हरियाणा में 43406, पंजाब में 24738, उत्तर प्रदेश में 24198 व मध्यप्रदेश में 20437 रुपए का प्रति कनेक्शन कर्ज है। इस कर्ज पर हर यूनिट पर ब्याज का भार भी राजस्थान में ज्यादा बैठता है। जब घोटालों की बात सामने आई तो राजस्थान डिस्कॉम के अफसरों ने चुप्पी साध ली। *(रा.प., 18.02.15)*

## सौर ऊर्जा में राजस्थान अव्वल

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सुरक्षित भविष्य के लिए अक्षय ऊर्जा की जरूरत पर बल देते हुए कहा कि विश्व को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने, भावी पीढ़ी को सुरक्षित दुनिया सौंपने तथा गरीबों के घरों को रोशन करने के लिए अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में मिलकर काम करने की आवश्यकता है।

उन्होंने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित तीन दिवसीय पहले अक्षय ऊर्जा वैश्विक निवेशक सम्मेलन में यह विचार रखते हुए राजस्थान को अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रशंसा-पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान कर पुरस्कृत किया। प्रदेश के ऊर्जा राज्यमंत्री पुष्पेन्द्र सिंह ने राज्य सरकार की ओर से यह पुरस्कार ग्रहण किया।

*(दै.न., 13.02.15, 16.02.15)*

### अब 'जल ग्राम' बचाएगा पानी

देश के सभी जिलों में जल्द ही एक 'जल ग्राम' बनाया जाएगा। गांव का चयन जिला कलेक्टर, सिंचाई, जलसंसाधन, जलदाय विभाग तथा स्वयंसेवी संगठनों द्वारा किया जाएगा। चयनित गांव में जल से संबंधित विभागों द्वारा पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।

लोगों को पानी के संयमित उपयोग के बारे में जानकारी दी जाएगी। अगर गांव में पेयजल की समस्या है या हैण्डपंपों में दूषित पानी आ रहा है तो ऐसी स्थिति में वहां के बाशिंदों को अन्य गांव से पाइप लाइन बिछाकर पानी उपलब्ध कराया जाएगा। दूषित पेयजल के शुद्धिकरण व वर्षा जल के संरक्षण के भी प्रयास होंगे। इसके लिए केन्द्र व राज्य सरकार पैसा देगी। *(रा.प.,13.01.15)*

### नहीं बनाई पानी निगरानी समिति

प्रदेश में जल जागरूकता समितियां बनाई जानी थी। इसके लिए जलदाय मंत्री किरण माहेश्वरी द्वारा प्रदेश के 200 विधायकों को पत्र भिजवाए गए, जिसमें समिति के लिए उनके क्षेत्र से 5 सदस्यों के नाम चुन कर भेजने को कहा गया था। लेकिन किसी भी विधायक ने निगरानी समिति के लिए नाम नहीं भिजवाए। जबकि विधायकों का यह कर्तव्य बनता है कि अपने क्षेत्र की पानी से जुड़ी समस्याओं से सरकार को अवगत कराए ताकि समस्या का निदान हो सके।

इससे विभाग और जनता के बीच एक सेतु बन सकता था। समिति में क्षेत्र के एईएन और जेईएन को जोड़ना था और पानी की गुणवत्ता, आपूर्ति और अन्य समस्याओं की निगरानी की जानी थी। *(दै.भा., 20.02.15)*

### जनता जल योजना फिर शुरू होगी

जलदाय मंत्री किरण माहेश्वरी ने कहा है कि प्रदेश में बंद पड़ी जनता जल योजना को फिर से शुरू किया जाएगा। यह योजना गत सरकार के शासन काल में पंचायतों को हस्तान्तरित की गई थी।

राज्य विधान सभा में विधायक नारायण सिंह देवल के सवाल का जवाब देते हुए माहेश्वरी ने कहा कि आगामी वर्ष के लिए विभाग को 139 करोड़ का बजट मिला है और पंचायतों के सही तरीके से संचालन नहीं होने से बंद जनता जल योजना को फिर से चालू कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिन क्षेत्रों में भू-जल स्तर नीचे जाने से हैण्डपंप व ट्यूबवैल सूख गए हैं, वहां जल संभावनाओं के मद्देनजर नए हैण्डपंप व ट्यूबवैल खुदवाए जाएंगे। अब 100 की आबादी वाले गांवों और ढाणियों में भी हैण्डपंप व सार्वजनिक नल लगाए जाएंगे साथ ही अन्य विकल्पों से भी पानी परिवहन कर जलापूर्ति की जाएगी। *(दै.न., 11.03.15)*

### झीलों का होगा संरक्षण व विकास

राज्य विधानसभा ने राजस्थान झील संरक्षण और विकास प्राधिकरण विधेयक, 2015 को ध्वनिमत से पारित कर दिया है। नगरीय विकास एवं स्वायत शासन मंत्री राजपाल सिंह शेखावत ने विधेयक को सदन के पटल पर रखा और विधेयक के उद्देश्यों व कारणों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह विधेयक आने वाली पीढ़ियों के व्यापक हित में है। प्रदेश में जल संरचनाएं धीरे-धीरे विलुप्त हो रही हैं।

उन्होंने कहा कि हमने लंबे समय से मानव निर्मित व प्राकृतिक जल संरचनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। पानी और घास पर लोगों का अधिकार तभी रह सकेगा जब झीलें सुरक्षित रहेंगी। हमारा प्रयास झीलों के विकास और संरक्षण के साथ ही उन्हें उनके पुराने स्वरूप में लौटाने व सौन्दर्यीकरण करने का है। *(न.नु., 23.03.15)*

### बचत कर बढ़ाएंगे पानी का प्रेशर

जलदाय विभाग ने नॉन रेवन्यू वाटर प्रोजेक्ट को अब आम जनता की सुविधा से जोड़ दिया है। इसके तहत पहले पानी की बचत और फिर उपभोक्ताओं को प्रेशर व ज्यादा समय तक पानी सप्लाई किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट पर पिछले डेढ़ साल से जापानी संस्था (जायका) की टीम काम कर रही है तथा अगले दो साल इसके लिए नि:शुल्क कंसलटेंसी व उपकरण भी उपलब्ध कराएगी।

इस प्रोजेक्ट में पानी की ऑडिटिंग भी की जाएगी। विभाग व जायका की स्टडी में यह सामने आया है कि जयपुर स्थित बनीपार्क में एक घंटे की पेयजल सप्लाई के दौरान 30 फीसदी से ज्यादा पानी लीकेज व छीजत में चला जाता है। जिसका कोई रेवन्यू नहीं मिलता। प्रोजेक्ट के तहत पुरानी व जर्जर लाइनें व कनेक्शन बदले जाएंगे। *(दै.भा., 26.03.15)*

### गर्मियों में मिल सकेगा ज्यादा पानी

बीसलपुर प्रोजेक्ट से इस साल मार्च के बाद 2000 लाख लीटर तक पानी बढ़ाया जा सकेगा। इससे जयपुर शहर को गर्मियों में ज्यादा पानी मिल सकेगा। जलदाय विभाग बीसलपुर बांध के पास सूरजपुरा में 122 करोड़ रुपए की लागत से 2000 लाख लीटर क्षमता का एक और नया फिल्टर प्लांट बना रहा है।

प्लांट का निर्माण कार्य अंतिम स्तर पर है। इसके बाद शहर को मांग के अनुसार पानी सप्लाई किया जा सकेगा साथ ही नई कॉलोनियों को भी बीसलपुर योजना से जोड़ा जा सकेगा। *(दै.भा., 02.02.15)*

## शहर में 30 फीसदी पानी की छीजत

जयपुर शहर में करीब सवा तीन लाख पानी के कनेक्शन जारी हैं। इनमें से आधे कनेक्शनों पर मीटर नहीं होने व अवैध कनेक्शन होने के कारण जलदाय विभाग 30 फीसदी पानी की छीजत मानता है। यह पानी नॉन रेवन्यू वाटर माना जाता है अर्थात इस वजह से विभाग के खजाने में पानी का पैसा जमा नहीं होता। मीटर नहीं होने के कारण उपभोक्ता की ओर से उपभोग किए पानी की विभाग के पास कोई जानकारी भी नहीं रहती है। ऐसे में पानी की फिजूलखर्ची भी ज्यादा रहती है।

यह भी सामने आया है कि विभाग के अफसरों व कर्मचारियों के विवाद के कारण पिछले चार साल से मीटर ही नहीं खरीदे गए। अब जलदाय विभाग ने सभी कनेक्शनों पर मीटर लगा कर सौ फीसदी पानी की रेवन्यू वसूलने का लक्ष्य रखा है। *(दै.भा., 17.01.15)*

### महिला एवं बाल विकास पर ध्यान

प्रदेश के बजट में 53 लाख 21 हजार बच्चों व महिलाओं के पोषाहार के लिए 1599 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में 901 नये आंगनबाड़ी केन्द्र खोले जाएंगें। महिला स्वावलम्बन को बढ़ावा देने के मकसद से 15 हजार नये स्वयं सहायता समूहों का गठन कर 2 लाख महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। महिलाओं के लिए लर्निंग व वाहन चालक लाइसेंस पर शुल्क में 50 फीसदी छूट दी गई है।

सरकारी स्कूल में 12वीं कक्षा की जिन छात्राओं के परीक्षा में 75 फीसदी से अधिक अंक आएंगे, उन्हें कॉलेज में प्रवेश लेने पर सरकार की ओर से प्रत्येक जिले की प्रथम 50 छात्राओं को स्कूटी मिलेगी। छात्राओं के लिए बनी साइकिल योजना को भी लागू रखा गया है। *(रा.प. एवं दै.भा., 10.03.15)*

### महिलाओं का है महत्वपूर्ण योगदान

गांव की महिलाएं अर्थव्यवस्था में बेहद महत्वपूर्ण योगदान तो देती है, लेकिन उनके हाथ में कुछ नहीं है। ग्रामीण महिला जनप्रतिनिधियों के प्रशासनिक कार्य उनके पति, ससुर या पुत्र करते हैं। यह चलता रहा तो कोई फायदा नहीं होने वाला। सांसद और विधायक चुनकर आने वाली महिलाओं की जिम्मेदारी है कि वे इन जनप्रतिनिधियों को सशक्त करें।

राजस्थान के कई गांवों का भ्रमण करने के बाद यूएन विमन कनाडा की प्रेसिडेंट अलमास जीवानी ने यह विचार व्यक्त करते हुए कहा कि भारत सहित दुनियाभर में राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है, जरूरत उन्हें शिक्षित और अधिकार सम्पन्न बनाने की है। *(दै.भा., 06.01.15)*

### पीड़िताओं को मिलेगी सुरक्षा

यौन शोषण एवं विभिन्न हिंसा से पीड़ित बालिकाओं और उनके परिवार को आवश्यक परामर्श, कानूनी प्रक्रिया, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में लाभ तथा मुआवजा दिलवाने के लिए प्रदेश में विजयाराजे सिंधिया बालिका संरक्षण एवं सम्मान योजना लागू की जाएगी।

राज्य विधानसभा में सामाजिक सुरक्षा और कल्याण मद की अनुदान मांगों पर हुई बहस में सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने यह घोषणा की। इस योजना के तहत 18 साल से कम आयु की ऐसी बालिका जिसने खुद और अपने साथी का बाल विवाह या यौन शोषण रोका हो उसे राज्य सरकार की ओर से सम्मानित किया जाएगा।

*(रा.प., 24.03.15)*

### दस जिलों में घटा लिंगानुपात

केन्द्र सरकार ने राज्य के ऐसे दस जिलों का (झुंझुनूं, सीकर, करौली, गंगानगर, धौलपुर, जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर और सवाई माधोपुर) चयन किया है, जहां पिछले दस साल में लिंगानुपात घटा है। अब इन जिलों में केन्द्र महिला एवं बाल विकास समेत तीन मंत्रालयों के सहयोग से जागरूकता के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया जाएगा।

योजना के तहत जिलों की सभी ग्राम पंचायतों में गुड्डा-गुड्डी के बोर्ड लगाए जाएंगे, जिन पर हर माह गांव का बालक-बालिका अनुपात दर्शाया जाएगा। लड़की का जन्म होने पर परिवार को तोहफा भेजा जाएगा। पंचायत लड़कियों का जन्मदिवस भी मनाएगी। गांव के सभी लोगों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शपथ दिलाई जाएगी। बालिका अनुपात बढ़ने पर पंचायत को सम्मानित किया जाएगा। *(रा.प., 04.02.15)*

*बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू*

## बेटी नहीं होगी तो बहू कहां से लाओगे: मोदी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हरियाणा के पानीपत से 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत की। उन्होंने गिरते लिंगानुपात पर चिंता जताते हुए कहा कि हमारे देश में एक हजार लड़के पैदा हों तो, एक हजार लड़कियां भी पैदा होनी चाहिए। मैं मां-बाप से पूछता हूं कि यदि बेटी पैदा नहीं होगी तो बहु कहां से लाओगे? उन्होंने भ्रूण हत्या पर चिंता जताते हुए कहा कि हमारा मंत्र होना चाहिए बेटा-बेटी एक समान। समाज को बेटियों के प्रति अपनी सोच बदलनी होगी।

> *लड़कियों की गिरती संख्या खतरे की निशानी है। इसे रोकें। बेटे-बेटियों में भेदभाव न करें। बेटियों को खूब पढ़ाएं। मेरे माता-पिता ने कभी मुझे भाइयों से कम नहीं माना। उम्मीद है दूसरे घरों में भी ऐसा ही होगा।*
>
> *-माधुरी दीक्षित*

महिलाएं आज किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। खेलों से लेकर विज्ञान तक की पहुंच उनकी उपलब्धियों को बताती है। बेटी को पढ़ा-लिखा कर हम एक शिक्षित परिवार की नींव रखते हैं। उनकी शिक्षा-दीक्षा में भी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए और यह बात पूरे देश में पहुंचनी चाहिए। इस अवसर पर उन्होंने सुकन्या समृद्धि योजना लॉन्च करते हुए बताया कि सरकार ने अभिनेत्री माधुरी दीक्षित को इस मुहिम का ब्रांड अंबेसडर बनाया है।

*(रा.प.एवं दै.भा., 23.01.15)*

## बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा बेटियों के लिए लॉन्च की गई सुकन्या समृद्धि योजना प्रदेश में काफी लोकप्रिय हो रही है। योजना के शुरू होते ही प्रदेश के डाकघरों में 5000 से ज्यादा खाते खुल गए और यह क्रम अभी जारी है। सरकारी बैंकों में भी यह खाता खोला जा सकता है।

योजना के तहत शून्य से लेकर दस साल तक की बेटियों के खाते खोले जा सकते हैं। खाते में जमा राशि पर 9.1 फीसदी सालाना ब्याज मिलेगा। इससे होने वाली आय और मैच्योरिटी पर मिलने वाली राशि आयकर से मुक्त है। बिटिया के 18 साल की होने पर शिक्षा या विवाह के लिए राशि निकाली जा सकेगी। इस योजना को काफी सराहा जा रहा है।

*(दै.भा., 03.03.15)*

**जन स्वास्थ्य**

## जल्द बनेगी नई स्वास्थ्य नीति

देश में 13 वर्ष के बाद नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति-2015 जल्द ही लागू होने वाली है। विशेषज्ञ सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं पर सकल घरेलू उत्पाद का 4 से 5 फीसदी तक खर्च करने की जरूरत मानते हैं। नई नीति में इसको 2.5 फीसदी करने का सुझाव दिया है। यानी प्रति व्यक्ति 3800 रुपए खर्च होंगे, जिसका 40 प्रतिशत केन्द्र सरकार वहन करेगी।

*ऐसा होगा उद्देश्य*

- *स्वास्थ्यवर्धक, निवारक और उपचारात्मक सेवाओं का विस्तार।*
- *स्वास्थ्य सुविधा की लागत में कमी लाना।*
- *मातृ-शिशु, किशोर तथा बुजुर्गों के स्वास्थ्य की रक्षा करना।*
- *नि:शुल्क अनिवार्य औषधियों, निदानों व आपातकालीन सेवाओं पर फोकस।*

मोदी सरकार पिछले कुछ महीनों में कई नई नीतियां लागू व कई नीतियां बदलने पर काम कर रही है। वर्ष 2002 में लागू हुई स्वास्थ्य नीति में यह 2 प्रतिशत था, जिसे सरकार नहीं छू पाई। नई नीति में इसे बढ़कर 2.5 प्रतिशत किया गया है।

नई नीति के तहत असक्षम लोगों को प्राथमिकता के साथ वित्तीय संरक्षण देना और विभिन्न बाधाओं के आधार पर भेदभाव को दूर करने जैसे कई प्रावधान किए गए हैं, ताकि सभी को स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ हो सकें। नई नीति का लक्ष्य अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण के लिए सर्वोत्तम स्तर को प्राप्त करना और गुणवत्ता की स्वास्थ्य सुविधा सेवाओं को सर्व सुलभ बनाना है। *(रा.प., 19.01.15)*

**मानक सेवा**

## हॉल मार्क जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

भारतीय मानक ब्यूरो जयपुर व 'कट्स'जयपुर के सहयोग व अवेयरनेस ट्रेनिंग व मोटिवेशन फॉर एक्शन 'आत्मा', जगमालपुरा के तत्वावधान में 25 मार्च 2015 को बबेरवालों की ढ़ाणी जोबनेर स्थित सरस्वती कॉनवेन्ट स्कूल में हॉल मार्क जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ।

कार्यक्रम में भारतीय मानक ब्यूरो जयपुर के विभागाध्यक्ष महेश कुमार एवं वैज्ञानिक एस.पी. यादव, अरुण कुमार तथा 'कट्स' जयपुर के वरिष्ठ कार्यक्रम समन्वयक दीपक सक्सेना, परियोजना अधिकारी धर्मेन्द्र चतुर्वेदी तथा वारिधी सिंह ने भारतीय मानक ब्यूरो के उद्देश्यों, हॉल मार्क के पहचान चिन्ह, जागो ग्राहक जागो, आभूषण खरीदते समय बिल की उपयोगिता एवं उपभोक्ता संरक्षण संबंधित विषयों की जानकारी दी।

आत्मा संस्था के सचिव ए.आर. शर्मा ने अतिथियों का स्वागत करते हुए मंच का संचालन किया। कार्यक्रम में करीब 40 संभागियों ने भाग लिया। *(दै.न., 26.03.15)*

**पर्यावरण**

## पर्यावरण को बायो गैस का सहारा

पर्यावरण संरक्षण के लिए अब राज्य में गोबर गैस (बायो गैस) को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए गांवों व गोशालाओं में सामूहिक प्लांट लगाने पर भी अनुदान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने इसके लिए बनी नीति को मंजूरी दे दी है। यह अनुभव किया जा रहा था कि प्रचार-प्रसार, सरकारी लापरवाही और तकनीकी जानकारी के अभाव में बायो गैस काम में लेने वालों की संख्या लगातार घट रही है। हालांकि इसका एक कारण पशु धन का घटना भी बताया जा रहा है।

महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब राज्यों में बायो गैस के सामूहिक उपयोग के मॉडल काफी सफल रहे हैं। इन राज्यों की तर्ज पर ही सामूहिक प्लांट को बढ़ावा देने के लिए नई नीति लागू की जा रही है। इसके तहत छोटे-छोटे प्लांट के साथ ही सामूहिक प्लांट के लिए भी अनुदान दिया जाएगा। गोबर व कचरे से बनने वाली बायो गैस न केवल एलपीजी गैस का विकल्प होगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान देगी। *(रा.प., 29.01.15)*

**वित्तीय सेवाएं**

## बैंकों को धोखाधड़ी से बचाएगा सीएफआर

रिजर्व बैंक (आरबीआई) के डिप्टी गवर्नर एस.एस मुंद्रा ने कहा है कि बैंकों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए केन्द्रीय बैंक सेंट्रल फ्रॉड रजिस्ट्री (सीएफआर) बनाया जाएगा, जिसके बाद जानबूझकर गलत काम करने वाले सजा से नहीं बच सकेंगे।

मुंद्रा ने कहा है कि धोखाधड़ी से बचाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं और अनैतिक तत्वों पर लगाम कसने तथा देश के ऋण तंत्र की विश्वसनियता को और प्रभावी बनाए रखने के लिए आरबीआई जल्द ही सीएफआर बनाएगा। उन्होंने बताया कि सीएफआर पर आने वाले खर्च आदि का आकलन कर लिया गया है। सभी जांच एजेंसियों तथा कानून लागू करने वाली एजेंसियों को एक फोरम पर लाने के लिए सरकार से भी बातचीत चल रही है।

उन्होंने कहा देश में लगातार बैंक धोखाधड़ी के मामलों में इजाफा हुआ है और सबसे ज्यादा मामले सरकारी बैंकों में सामने आए हैं। इस तरह की धोखाधड़ी रोकने के लिए फिलहाल कोई तंत्र मौजूद नहीं है। सीएफआर बनने से इसके जरिए बैंकों तथा अन्य एजेंसियों के बीच सूचनाओं का आदान-प्रदान जल्द हो सकेगा।

*(रा.प., 24.03.15)*

## सेबी ने चलाया जागरूकता अभियान

सेबी ने कम समय में अधिक मुनाफा देने के नाम पर निवेशकों को ठगने वाली कंपनियों के खिलाफ लोगों में जागरूकता के लिए एसएमएस अभियान शुरू किया है। सेबी ने चालू वित्त वर्ष में धोखाधड़ी वाली 150 से भी ज्यादा स्कीमों का पर्दाफाश किया है। इसमें कंपनियों ने लोगों को 13 हजार करोड़ रुपए का चूना लगाया है।

सेबी निवेशकों को इन स्कीमों के प्रति जागरूक करने के लिए कम समय में अधिक मुनाफा देने का वादा करने वाली स्कीमों से सावधान रहने का एसएमएस भेज रहा है।

*(रा.प., 24.03.15)*

## उपभोक्ता फैसले

### बैडशीट का कलर उतरा, देना होगा हर्जाना

जयपुर में चांदी की टकसाल निवासी कमल सोनी ने सुभाष चौक चाणक्य मार्ग स्थित एच.सी मल्होत्रा हैण्डलूम के खिलाफ उपभोक्ता मंच जयपुर में परिवाद दर्ज कराते हुए बताया कि उन्होंने एच.सी.मल्होत्रा हैण्डलूम की दुकान से 290 रुपए की एक बैडशीट खरीदी थी। दुकानदार ने उन्हें इस बात की गारंटी दी थी कि बैडशीट का रंग पक्का है, धुलाई पर उसका कलर नहीं उतरेगा। जबकि पहली धुलाई में ही बैडशीट का कलर उतर गया। वह इसकी शिकायत लेकर दुकानदार के पास गए, लेकिन उन्हें कोई सन्तोषजनक जवाब नहीं मिला। मजबूरन उन्हें उपभोक्ता मंच में न्याय प्राप्ति के लिए मामला दर्ज कराना पड़ा है।

मामले की सुनवाई के लिए मंच ने दुकानदार को निर्धारित तिथि पर उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस भिजवाया, लेकिन दुकानदार स्वयं अथवा उसका कोई अन्य प्रतिनिधि मंच के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। इस पर मंच ने एक तरफा फैसला देते हुए एच.सी. मल्होत्रा हैण्डलूम के मालिक को आदेश दिया कि वह उपभोक्ता कमल सोनी को बैडशीट की कीमत लौटाने के साथ 3500 रुपए मानसिक संताप की क्षतिपूर्ति के रूप में तथा 1500 रुपए परिवाद खर्च के अदा करें। *(रा.प., 16.02.15)*

### आईसीआईसीआई बैंक पर हर्जाना

जयपुर निवासी पतासी देवी ने उपभोक्ता मंच जयपुर में आईसीआईसीआई बैंक के खिलाफ परिवाद दर्ज कराया। उन्होंने अपने परिवाद में बताया कि उसके पति ने सउदी अरब से उसे 16850 रुपए का ड्राफ्ट भिजवाया। उक्त ड्राफ्ट आईसीआईसीआई बैंक द्वारा बनाया गया था। उनका बचत खाता एसबीबीजे बैंक में था। लेकिन आईसीआईसीआई बैंक ने ड्राफ्ट पर बैंक का नाम एसबीआई लिख दिया। उन्होंने ड्राफ्ट पर बैंक नाम संशोधन कराने और राशि दिलवाने के लिए एसबीबीजे, एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने भुगतान करने से मना कर दिया।

मामले की सुनवाई पर उपभोक्ता मंच ने आईसीआईसीआई बैंक पर गलत ड्राफ्ट जारी करने व सेवा में कमी होने का दोषी मानते हुए बैंक को आदेश दिया कि वह 15 हजार रुपए बतौर हर्जाना अदा करे। साथ ही बैंक को यह भी निर्देश दिए कि वह परिवादिया पतासी देवी को 16950 रुपए 24 जुलाई 2007 से वसूली तक 10 फीसदी ब्याज सहित दें। *(दै.भा., 15.03.15)*

## खास समाचार

### स्वस्थ आहार है जीवन का आधार

'कट्स' द्वारा विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के अवसर पर अहिंसा विद्यापीठ स्कूल, कैलाशपुरी जयपुर में स्कूली बच्चों के साथ एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों के साथ स्वस्थ आहार के अधिकार को प्रोन्नत करने में उनके योगदान पर चर्चा की गई।

कार्यक्रम में 'कट्स' के वरिष्ठ कार्यक्रम समन्वयक दीपक सक्सेना ने बताया कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस सम्पूर्ण विश्व में 15 मार्च को मनाया जाता है। अन्तरर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था कन्ज्यूमर इन्टरनेशनल हर साल उपभोक्ता से सम्बन्धित एक विषय पर कार्यक्रम आयोजित करती है। इस साल हेल्दी फूड यानी स्वस्थ आहार विषय का चयन किया गया है। उन्होंने विद्यार्थियों को उपभोक्ता आन्दोलन के इतिहास की जानकारी देते हुए भारत में उपभोक्ता अधिनियम लागू होने के बारे विस्तार से बताया।

इस अवसर पर 'कट्स' परियोजना अधिकारी धर्मेन्द्र चतुर्वेदी एवं वारिधी सिंह ने स्वस्थ आहार के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि स्वस्थ रहने के लिए फास्ट फूड व जंक फूड का उपभोग नहीं करना चाहिए। उन्होंने फास्ट फूड से स्वास्थ्य पर होने वाले नुकसान के बारे में बताते हुए कहा कि बाजार में खुले में बिकने वाले खाद्य पदार्थ भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। इसलिए जो भी खाद्य पदार्थ खाएं देख-परख कर ही खाएं।

कार्यक्रम का संचालन अहिंसा विद्यापीठ स्कूल के प्रधानाचार्य रवि कुमार शर्मा ने किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों सहित स्थानीय नागरिकों की सक्रिय भागीदारी रही।

### 'कट्स' उपभोक्ता संरक्षण परिषद् की सदस्य मनोनीत

आपको यह जान कर प्रसन्नता होगी कि कन्ज्यूमर यूनिटी एण्ड ट्रस्ट सोसायटी 'कट्स' इन्टरनेशनल को भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने तीन वर्ष के लिए केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद् का सदस्य मनोनीत किया है। उक्त परिषद का गठन भारतीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत किया जाता है।

परिषद् का मुख्य कार्य उपभोक्ताओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों की राष्ट्रीय स्तर पर समय-समय पर समीक्षा करना एवं इन मुद्दों की सरकार के समक्ष पैरवी करना एवं आवश्यक सुझाव देना है।

### उपभोक्ता होगा अधिक सशक्त

केन्द्र सरकार उपभोक्ता संरक्षण कानून में बड़ा बदलाव लाने की तैयारी कर रही है। सरकार की कोशिश इसी सत्र में उपभोक्ता संरक्षण कानून संशोधन विधेयक लाने की है। इस नए कानून के तहत उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के गठन का प्रस्ताव है। इसमें न्यायिक प्रक्रिया को सुगम बनाया गया है, जिससे उपभोक्ताओं की शिकायतों का तेजी से निपटान हो सकेगा। खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने यह जानकारी दी। यह कानून कुछ हद तक अमरीका व यूरोपीय देशों जैसा होगा। उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के गठन का मकसद उपभोक्ताओं को अनुचित व्यापार व्यवहार से बचाना है। *(न.नु.एवं दै.भा., 17.03.15)*

**स्त्रोतः** रा.प.: राजस्थान पत्रिका, दै.भा.: दैनिक भास्कर, न.नु.: नफा नुकसान, दै.न.: दैनिक नवज्योति, बी.एल.: बिजनेस लाइन

**पाँचवा-स्तम्भ (समाचार पत्रिका) प्रकाशक कन्ज्यूमर यूनिटी एण्ड ट्रस्ट सोसायटी,** डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016, फोनः 91.141.513 3259 फैक्सः 228 2485, टेलीफैक्सः 401 5395, ई-मेलः cart@cuts.org, वेबसाईटः www.cuts-international.org के लिए जयपुर प्रिंटर्स प्रा. लि., जयपुर द्वारा मुद्रित।